

विषय:- केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) "सबके लिए आवास-2022" के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास निर्माण" के अन्तर्गत आवासों के निर्माण के संबंध में।

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) झारखण्ड राज्य में जून, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक रागी आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राज्य के रागी शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वित है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत "वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास" के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित राज्य के समस्त शहरी आवासहीन निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है:-

- 2.1 प्रथम घटक:-भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम का पुनर्वास।
 - 2.2 द्वितीय घटक:-ऋण से जुड़े ब्याज अनुदान के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।
 - 2.3 तृतीय घटक:-सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण।
 - 2.4 चतुर्थ घटक:-लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान।
3. "सबके लिए आवास" मिशन के अन्तर्गत विभिन्न घटकों (Component) का कार्यान्वयन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जा रहा है।
4. "सबके लिए आवास" मिशन की निर्धारित अवधि वर्ष 2015 से 2022 तक है। उक्त मिशन के तहत ऋण से संबंधित अवयव को छोड़कर, शेष योजना केन्द्र प्रायोजित स्कीम (CSS) के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत राशि के सदुपयोग एवं योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु वर्णित प्रावधानों के आलोक में योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 171 दिनांक 05.02.2016 निर्गत किया गया है।
- 4.1 इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के ही होंगे, जिनकी वार्षिक आय ₹0 3.00 लाख या ₹0 3.00 लाख से कम होगी।
 - 4.2 योजनाओं के अन्तर्गत लाभुक के परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी भाग में अपने अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं है, वही परिवार इस मिशन के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।
 - 4.3 इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी द्वारा निम्नांकित अनिवार्य शर्तों का अनुपालन किया जाना है:-
 - 4.3.1 लाभुक की पात्रता के लिए कट-ऑफ-डेट (Cut-of-date) मिशन के शुभारम्भ की तिथि अर्थात् दिनांक- 17.06.2015 है।
 - 4.3.2 लाभार्थी को स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त कट-ऑफ-डेट के पूर्व उस शहरी क्षेत्र/स्लम का निवासी होना अनिवार्य है।
 - 4.3.3 लाभार्थी का Voter ID Card होना अनिवार्य है।
 - 4.3.4 लाभार्थी के द्वारा उसके पैतृक जिले के राजस्व पदाधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है।

4.3.5 लाभुक का आधार कार्ड बैंक एवं एकाउंट संख्या होना अनिवार्य है।

4.3.6 लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से केवल एक ही घटक का लाभ ले सकते हैं।

4.3.7 पूर्व में संचालित केन्द्रीय प्रायोजित आवासीय योजनाओं के लाभुक इस मिशन अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

5. योजनान्तर्गत वर्ष 2022 तक रागी आवास विहीन शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा सर्वे कराये जाने उपरांत Housing for All Plan of Action (HFAPoA) तैयार कराया गया है। HFAPoA के आंकड़ों के आधार पर योजना के तृतीय घटक अन्तर्गत लगभग 74000 आवासों की आवश्यकता है।

उपरोक्त के आलोक में "सबके लिए आवास" मिशन के तृतीय घटक अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र/मास्टर प्लान क्षेत्र अन्तर्गत विहित सरकारी/लोक उपक्रम भूमि पर आवासों का निर्माण किया जाएगा।

6. आवासों के निर्माण के क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त आवासों में पानी, बिजली, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ अनिवार्य रूप से हों। योजनान्तर्गत निर्माण किए जाने वाले आवासीय परिसरों के मुख्य प्रावधान निम्नवत हैं:-

6.1 आवास का निर्माण G+3 के Model में होगा। प्रत्येक आवास का Carpet Area 27-30 वर्ग मी० तक का होगा। प्रत्येक आवास में दो कक्ष, एक रसोई (Kitchen), एक शौचालय (Toilet) एवं एक स्नानघर (Bath Room) होगा।

6.2 आवास का निर्माण National Building Code (NBC) के मापदण्डों के अनुरूप किया जाएगा तथा झारखण्ड भवन उप-विधि-2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

6.3 आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे Boundary Wall, Gate, Road, Drain, Sewerage, Water Supply Pipeline, External Electrification, Street Light, Rain Water Harvesting, Solid/Liquid Waste Management, Sewerage Treatment, Waste Water recycling, Community Hall, Society Office etc. का भी निर्माण किया जाएगा।

7. योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में Hybrid Annuity Model के आधार पर लोक निजी भागीदारी के तहत तृतीय घटक के अंतर्गत 40,000 आवासों के निर्माण हेतु विभागीय संकल्प संख्या 3866 दिनांक 16.06.2017 निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प के आधार पर 40,000 आवासों के निर्माण हेतु वैश्विक निविदा (Global Tender) आमंत्रित की गयी थी। वैश्विक निविदा के क्रम में कई विकासकर्ताओं के द्वारा RFP-cum-RFQ दस्तावेज के कई मापदण्डों को संशोधित करने का सुझाव दिया गया। वैश्विक निविदा के क्रम में प्राप्त सुझावों के आलोक में योजना के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास निर्माण" के क्रियान्वयन की रणनीति में बदलाव किया जाता है। अतः पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 3866 को विलोपित किया जाता है।

8. योजनान्तर्गत निर्माण किए जाने वाले आवासों की लागत लगभग रु० 7.00 लाख से रु० 8.00 लाख संभावित है। प्रसंगाधीन योजना हेतु केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभुक अंशदान निम्नवत् होंगे :-

8.1 केन्द्रांश - रु० 1.50 लाख

8.2 राज्यांश - रु० 1.00 लाख

8.3 लाभुक अंशदान-परियोजना लागत (प्रति आवास) की शेष राशि।

9. योजनान्तर्गत निर्मित किए जानेवाले आवासों के आवंटन हेतु सुपात्र एवं इच्छुक लाभुकों के द्वारा संबंधित नगर निकायों में विहित प्रपत्र में आवेदन किया जाएगा। प्रस्तावित आवासीय परियोजना हेतु सुपात्र लाभुकों द्वारा एक सहमति पत्र निकाय में जमा किया जाएगा, जिसमें आवास आवंटन की शर्तों का उल्लेख होगा।

10. आवास आवंटन संबंधी नियम एवं शर्तें निम्नवत् होंगी:-

10.1 सुपात्र आवेदक के द्वारा संबंधित निकाय में आवास हेतु आवेदन पत्र एवं सहमति पत्र के साथ अप्रतिदेय प्रक्रिया शुल्क (Non refundable process fee) के रूप में 200 रुपये की राशि नकद/चेक/ड्राफ्ट/Online के द्वारा जमा की जाएगी।

- 10.2 निकाय द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँच के पश्चात् निर्धारित तिथि को लॉटरी द्वारा आवास के आवंटन हेतु आवेदकों का चयन किया जाएगा। लॉटरी हेतु जिलावार एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:-
- 10.2.1 निकाय (राँची/धनबाद को छोड़कर) के जिला के उपायुक्त/नगर आयुक्त
राँची/धनबाद - अध्यक्ष
- 10.2.2 संबंधित निकायों के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/
कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी/उपायुक्त के प्रतिनिधि - सदस्य
- 10.2.3 लाभुकों के एक प्रतिनिधि - सदस्य
- 10.3 लॉटरी द्वारा चयनित आवेदकों को निश्चित समय सीमा के अन्दर अग्रिम राशि रु 25,000/- बैंकर्स चेक/ डी०डी०/RTGS के माध्यम से Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) में जमा करानी होगी। चयनित आवेदकों को शेष राशि लाभुक अंशदान, कार्य शुरु होने के चार - चार माह के अंतराल में बराबर किस्तों में बैंकर्स चेक/डी०डी०/RTGS के माध्यम से JAHDF में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् सम्बंधित लाभुक को उक्त आवास का कब्जा (Possession) दिया जाएगा।
- 10.4 उक्त अग्रिम राशि का समायोजन लाभुक द्वारा आवास हेतु देय राशि में किया जाएगा। ऐसे लाभुक, जिनके द्वारा उक्त समय सीमा के अन्दर अग्रिम राशि निकाय में जमा नहीं की जाती है, का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। उनकी जगह प्रतीक्षारत्त लाभुक को आवास का आवंटन कर दिया जाएगा।
- 10.5 लॉटरी के दौरान 10% लाभुकों की प्रतीक्षासूची भी तैयार की जाएगी ताकि आवासों के आवंटन रद्द होने की स्थिति में इस प्रतीक्षासूची का उपयोग किया जा सके।
- 10.6 योजनान्तर्गत निर्मित आवासों का आवंटन परिवार की व्यस्क महिला मुखिया के नाम से होगा। यदि परिवार में कोई महिला मुखिया सदस्य नहीं है तो, पुरुष मुखिया सदस्य के नाम से आवास आवंटन किया जा सकेगा।
- 10.7 निर्मित होने वाले किफायती आवासों के लिए मुद्रांक शुल्क रु 1/- मात्र (एक रुपये मात्र) एवं निबंधन शुल्क रु 1/- मात्र (एक रुपये मात्र) लिए जाएंगे।
- 10.8 आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी जानकारी गलत साबित होने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा ऐसे आवेदक कानूनी कार्रवाई के भागी होंगे।
- 10.9 योजनान्तर्गत लाभुकों को आवास एवं सन्निहित जमीन का स्वामित्व, 15 वर्षों के lock in period के बाद, या लाभुक के वित्तीय संस्थान से लिए गए गृह ऋण से मुक्त होने के बाद, जो बाद में हो, दिया जाएगा।
- 10.10 योजनान्तर्गत लाभुकों को आवंटित आवास प्रथम 15 (पन्द्रह) वर्षों तक अहस्तांतरणीय होगा, किन्तु उक्त आवंटित आवास संबंधित लाभुकों के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम लाभुक के मरणोपरांत हस्तांतरित किया जा सकेगा।
- 10.11 आवास आवंटन हेतु लाभुक अंशदान के भुगतान हेतु जिन लाभुकों को स्वयं के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में निकाय द्वारा सलाह एवं सहायता प्रदान की जाएगी।
- 10.12 इस संबंध में बैंकों से लाभुकों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहूलियत (Facilitation) के लिए निदेशालय/Implementing Agency के द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय MOU किया जाएगा।
11. योजनान्तर्गत विभिन्न निकायों में सरकारी/लोक उपक्रम भूमि पर आवास निर्माण हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा-
- 11.1 आवासीय योजनाओं के निर्माण हेतु विभिन्न निकायों में सरकारी/लोक उपक्रम भूमि का चयन किया जा रहा है। चयनित भूमि का नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरण, एवं सीमांकन का कार्य जिला के उपायुक्तों के माध्यम से किया जा रहा है।

S382
02.11.19

- 11.2 विभिन्न निकायों अन्तर्गत निर्मित कराए जाने वाले आवासीय परिसरों का Layout Plan/Draft DPR सर्वश्री जुडको लि० के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है ।
- 11.3 उक्त तैयार Layout Plan/Draft DPR पर संबंधित निकाय की सहमति प्राप्त की जा रही है।
- 11.4 विभिन्न निकायों में निर्मित किये जाने वाले आवासों की संख्या को देखते हुए आवश्यकतानुसार निकायों को Clusters में विभाजित कर पृथक-पृथक योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से नियमानुसार प्राप्त की जाएगी।
- 11.5 आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन इच्छुक एवं सुपात्र लाभुकों से सहमति पत्र प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा।
- 11.6 आवास निर्माण हेतु विकासकर्ता का चयन एवं योजना का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों/झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड/JUIDCO द्वारा किया जाएगा।
- 11.7 योजना का क्रियान्वयन विकासकर्ता के द्वारा Design and Build के तहत किया जाएगा, जिसके अंतर्गत निर्मित किये जानेवाले आवासों के Detailed Drawings, Designs एवं निर्माण की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- 11.8 विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित आवासीय परिसर हेतु तैयार की गई Detailed Drawings and Designs निम्न वर्णित संस्थाओं में से किन्ही एक संस्था द्वारा प्रमाणित/अनुमोदित होनी चाहिए:
- 11.7.1 Indian Institute of Technology (IIT), Dhanbad
11.7.2 National Institute of Technology (NIT), Jamshedpur
11.7.3 Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
- 11.9 इस योजनान्तर्गत आवास निर्माण में नियमित अनुश्रवण एवं गुणवत्ता जाँच हेतु तृतीय पक्ष गुणवत्ता अनुश्रवण संस्था (Third Party Quality Monitoring Agency) का चयन किया जाएगा।
- 11.10 आवासों की आवश्यकता बहुत अधिक है एवं आवास निर्माण करने हेतु अवधि मात्र 4 वर्ष (वर्ष 2022 तक) है। अतः आवास निर्माण हेतु पारम्परिक तकनीक के साथ-साथ नई एवं उभरती तकनीकों (New and Emerging Technology) के उपयोग का प्रस्ताव है ताकि आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र संपन्न किया जा सके एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा सके। अतः ऐसी नई एवं उभरती तकनीक जिनका SOR (Schedule of Rate) झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है, का उपयोग आवास निर्माण हेतु किया जा सकेगा।
12. सफल विकासकर्ता के द्वारा Real Estate Regulatory Act-2016 (RERA) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. योजनान्तर्गत निजी प्रवर्तकों द्वारा अपनी भूमि पर जन निजी भागीदारी के तहत आवास का निर्माण निम्नवत किया जाएगा-
- 13.1 निजी प्रवर्तक अपनी निजी जमीन पर निम्न प्रकार की आवासीय परियोजनाएँ प्रस्तावित कर सकेंगे:
- 13.1.1 परियोजनाएँ जिनमें परियोजना भूमि में निर्मित आवासों में से कम से कम 35% EWS आवास हो तथा एक परियोजना में कम से कम 250 आवास हो।
- 13.2 निजी प्रवर्तकों द्वारा परियोजना से संबंधित प्रस्ताव संबंधित निकायों में जमा किया जाएगा। संबंधित निकाय समर्पित परियोजना की जाँच करते हुए अनुशंसा सहित विभाग को प्रेषित करेंगे।
- 13.3 निकाय स्तर से प्राप्त अनुशंसित परियोजना को नियमानुसार अनुमोदन विभाग द्वारा दिया जाएगा।
- 13.4 प्रस्तावित आवासीय परियोजना के आवासों एवं आधारभूत संरचना हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर प्रति वर्ग फीट की अधिकतम बिक्री दर तय की जाएगी।
- 13.5 निजी प्रवर्तकों द्वारा निर्मित आवासीय परियोजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्र लाभुकों को आवंटन किया जा सकेगा, जिनका चयन निजी प्रवर्तकों द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा।
- 13.6 आवासीय परियोजनाओं हेतु विभाग द्वारा कुल रू० 1.50 लाख केन्द्रांश का अनुदान निजी प्रवर्तकों को दिया जाएगा। अनुदान की राशि का भुगतान निजी विकासकर्ता को लाभुकों को आवास आवंटित करने एवं कब्जा देने के पश्चात किया जाएगा।

- 13.7 सफल विकासकर्ता के द्वारा आवासीय परियोजना अंतर्गत कुल निर्मित क्षेत्र के 5% क्षेत्र पर सामुदायिक सुविधाओं, दुकानों इत्यादि का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 3% में केवल दुकानों का प्रावधान किया जाएगा।
- 13.8 आवासों का निर्माण National Building Code (NBC) के मापदण्डों के अनुरूप किया जाएगा तथा झारखण्ड भवन उप-विधि-2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
- 13.9 इस योजनान्तर्गत आवास निर्माण में नियमित अनुश्रवण एवं गुणवत्ता जाँच तृतीय पक्ष गुणवत्ता अनुश्रवण संस्था (Third Party Quality Monitoring Agency) के द्वारा किया जाएगा।
- 13.10 निर्मित किये जानेवाले आवासों के निर्माण का अनुश्रवण विभाग द्वारा भी किया जाएगा।
14. निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के स्तर पर Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) की स्थापना की जाएगी, जिसमें भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की राशि, चयनित विकासकर्ताओं से प्राप्त Premium, राज्यांश की राशि एवं लाभुक अंशदान की राशि संधारित की जाएगी। इस राशि का उपयोग राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में यथा-अनुमान्य आवासीय परियोजनाओं के विकास हेतु किया जाएगा।
15. Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) के संचालन हेतु नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। JAHDF की विस्तृत मार्गदर्शिका संकल्प प्रारूप परिशिष्ट "क" पर है। इस निधि से कार्य की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए यथा-अनुमान्य राशि का भुगतान विकासकर्ता को किया जाएगा।
16. JAHDF में संधारित की जाने वाली राशि को बैंक खाते में रखने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम- 261 (b) में वर्णित प्रावधान "Money withdrawn as grant-in-aid will not be kept in bank account but as a personal deposit account in the specified treasury" को शिथिल किया जाता है।
17. उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक: 30.10.2018 की बैठक में मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- 03/न०प्र०नि०/PMAY/HFA-NEW TECHNOLOGY/12/2017/5382/राँची/दिनांक: 02.11.18
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रकाशनोपरांत संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- 03/न०प्र०नि०/PMAY/HFA-NEW TECHNOLOGY/12/2017/5382/राँची/दिनांक: 02.11.18
प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- 03/न०प्र०नि०/PMAY/HFA-NEW TECHNOLOGY/12/2017/5382/राँची/दिनांक: 02.11.18
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, जुडको लि०, राँची/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/संयुक्त सचिव (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लि०, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।